सी.एन.आर. संख्या— RJHG160007462022

न्यायालय :— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी —: तुषार बिश्नोई, आर0जे0एस0
नं0फौ0प्र0सं0 —: 1810/2022
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या —: 381/2022
सी.एन.आर. संख्या —: RJHG160007462022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या —: 163/2022
अपराध अन्तर्गत धारा —: 341, 323, 324 सपठित धारा 34 भादसं0

भाग—प्रथम
(अ)

परिवादीया	बचनो देवी पत्नी महेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड नंबर—20, टिब्बी, पुलिस थाना टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	(1) रमेश कुमार पुत्र भगवानाराम उर्फ बग्गा उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर—20, टिब्बी, पीएस टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़। (2) भगवानाराम उर्फ बग्गा पुत्र खेताराम उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नंबर—20, टिब्बी, पीएस टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़। (3) गुलाबराम पुत्र राजूराम उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नंबर—18, टिब्बी, पुलिस थाना टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री श्योकत अली
विद्वान अधिवक्ता परिवादीगण	श्री हरविन्द्र सिंह गिल

(ब)

अपराध की दिनांक	18.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	19.05.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09.06.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	09.06.2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	12.05.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	————
निर्णय दिनांक	21.07.2026
दंडादेश की दिनांक	————

(स)
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्तगण के नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दंडादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	(1) रमेश कुमार	.....	09.06.22	धारा 341, 323, 324 सपठित धारा 34 भादसं0	दोषमुक्त	––	––
2	(2) भगवानाराम उर्फ बग्गा	.....	09.06.22	धारा 341, 323, 324 सपठित धारा 34 भादसं0	दोषमुक्त	––	––
3	(3) गुलाबराम	.....	09.06.22	धारा 341, 323, 324 सपठित धारा 34 भादसं0	दोषमुक्त	––	––

भाग– द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ– अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पीडब्ल्यू–1	राम सिंह	आहत
पीडब्ल्यू–2	बचनो देवी	परिवादीया/आहता

ब– बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स– न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ– अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्शपी–1	नक्शा मौका घटनास्थल
2	प्रदर्शपी–2	पर्चा बयान श्रीमती बचनो बाई
3	प्रदर्शपी–3	चाक एफआईआर

ब– बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	–	–

स– न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

द– भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
–	–	–

1– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2022 को समय 10:15 ए.एम. पर राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में भर्तीशुदा आहता श्रीमती बचनो बाई ने पर्चा बयान इस आशय का दर्ज करवाया कि दिनांक 18.05.2022 को शाम के करीब 08:00 बजे उसके जेठ राम सिंह के साथ गुलाबसिंह झगड़ा कर रहा था तो उसने गुलाब सिंह को झगड़ा करने से मना किया तो रमेश सिंह, बग्गा सिंह, गुलाबसिंह, गुलाब सिंह के तीन लड़के उनके घर की बाखल में आये और आते ही रमेश ने उसके सिर में चोट मारी, किससे मारी उसे पता नहीं। उसके चोट लगने से वह गिर गयी तो सभी भाग गये इत्यादि

पर प्रथम सूचना सं0 163/2022 अंतर्गत धारा 452, 323, 143 भादसं. के तहत दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 324, 341, 34 भा.दं.सं. में आरोपपत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा 341, 323, 324 सपठित धारा 34 भादसं0 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. न्यायालय द्वारा बहस आरोपी सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 324 सपठित धारा 34 भादसं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

3. अन्वीक्षा के दौरान परिवादीगण तथा अभियुक्तगण के मध्य धारा 341, 323 सठित धारा 34 भादसं0 के अपराध में राजीनामा पेश होने पर उक्त राजीनामा बाद जांच न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 सपठित धारा 34 भादसं0 की हद तक विचारण शेष रहा।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–3 पर भाग –'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. सारवान साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध नहीं किये गये व अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित कर दिया है। अतः अभियुक्तगण को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियोजन के प्रमुख गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा अभियोजन गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकार के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते हैं :–

–: बिन्दु संख्या–1 :–

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.05.2022 को समय शाम के करीब 08:00 बजे वाका वार्ड नंबर–20, टिब्बी स्थित मुस्तगीसा बचनोबाई के मकान के पास अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबा बचनोबाई के साथ धारदार हथियार से सिर पर साधारण उपहतियां कारित की ? ''

–: बिन्दु संख्या–2 :–

''यदि हां, तो अभियुक्तगण के वर्णित अपराध हेतु उचित दण्ड क्या होगा? ''

–: बिन्दु संख्या–1 :–

08. हस्तगत प्रकरण का उद्भव गवाह पीडब्लयू–2 परिवादीया/आहता बचनो बाई के पर्चा बयान दिनांकित 19.05.2022 प्रदर्शपी–2 से होता है। अभियोजन कहानी के समर्थन में अभियोजन की ओर से गवाह स्वयं परिवादीया/आहता पी.डब्ल्यू–2 बचनो बाई को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में जाहिर किया है कि आज से करीब चार साल पहले रात्रि के करीब 08:00 बजे उसके जेठ राम सिंह ने गुलाब सिंह ने दिहाड़ी के पैसे मांगें तो वह राम सिंह के साथ झगड़ा करने लगा, इतने में वह आ गयी, उसने गुलाब सिंह से झगड़ा करने से मना किया। अभियुक्तगण गुलाब सिंह, रमेश व भगवानाराम द्वारा रामसिंह व उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी, वह नीचे गिर गयी, जिससे उसके सिर पर चोट आई, फिर उसको टिब्बी अस्पताल लेकर आये जहां उसे हनुमानगढ़ अस्पताल रैफर कर दिया। पुलिस ने आकर उसके पर्चा बयान लिये जो प्रदर्शपी–2 है, जिस पर एक्स स्थान पर दो जगह बचनो देवी का अंगुठा निशान है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–1 राम सिंह को परीक्षित करवाया गया, जिसने अपनी साक्ष्य में आहता पीडब्ल्यू–2 बचनो बाई के कथनों का समर्थन किया है तथा आगे अपनी मुख्य परीक्षा में जाहिर किया है कि पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके व बचनों बाई सामने बनाया था, जो प्रदर्शपी–1 है, जिस पर एक्स स्थान पर स्वयं की तथा वाई स्थान पर बचनो बाई की अंगूठा निशानी है। उक्त गवाहान के किसी प्रकार के हथियार से मारपीट नहीं की गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त गवाहान ने इस सुझाव को सही बताया है कि उनकी मामूली बोलचाल हुई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ

था। उनके साथ मुलजिमानों ने मारपीट नहीं की। पुलिस वालों ने उनके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। उनके सामने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। अब उनका राजीनामा हो गया है, वह कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

9. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में उक्त दोनों गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण/आहतगण के साथ मामूली बोलचाल होना तथा आहतगण बचनो बाई व राम सिंह ने स्वयं के साथ मारपीट होने से इंकार किया है। आहत राम सिंह ने अपनी साक्ष्य में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने का कथन किया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण उक्त गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं तथा अभियुक्तगण के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में स्वयं परिवादीगण/आहतगण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जो अभियोजन कहानी की ताईद नही करते हैं। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कहानी को पुष्ट नहीं किया गया है।

10. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचनानुसार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 18.05.2022 को समय शाम के करीब 08:00 बजे वाका वार्ड नंबर–20, टिब्बी स्थित मुस्तगीसा बचनोबाई के मकान के पास अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबा बचनोबाई के साथ धारदार हथियार से सिर पर साधारण उपहतियां कारित करने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर तथा धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में कोई वजह सबूत नहीं है।

–: आदेश :–

11. फलतः **"अभियुक्तगण (1) रमेश कुमार पुत्र भगवानाराम उर्फ बग्गा उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर–20, टिब्बी, पीएस टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़,** (2) भगवानाराम उर्फ बग्गा पुत्र खेताराम उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नंबर–20, टिब्बी, पीएस टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ व **(3) गुलाबराम पुत्र राजूराम उम्र 50 वर्ष निवासी**

वार्ड नंबर–18, टिब्बी, पुलिस थाना टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध **अन्तर्गत धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर तथा धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त** किया जाता है।''

एसडी/–

तुषार बिश्नोई
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

12. निर्णय आज दिनांक 21.07.2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

एसडी/–
तुषार बिश्नोई
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

नोट :– जांचा और सत्यापित।